न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :— मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :— 28 / 2024

प्रार्थी:—

छोगाराम पुत्र लादाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामनगर कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी:—

मांगीलाल पुत्र किसनाराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामनगर कापरडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:— प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्र प्रसाद बोराणा अधिवक्ता।
अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: आदेश :: दिनांक :— 18/11/24

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी उपरोक्त पते पर स्थायी रूप से निवास करते है। ग्राम रामनगर, पटवार हल्का कापरड़ा, तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1032 रकबा 0.8656 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 284 रकबा 2.0306 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.8962 हैक्टेयर आई हुई है, जिसके खाता संख्या 20 है जो राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में प्रार्थी व उसकी बहनों व प्रार्थी की माता के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है तथा प्रार्थी की बहन ढगलीदेवी का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी की बहन तीजादेवी का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी की माता पारीदेवी का 1/4 हिस्सा निहित व दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी की दोनो बहने अपने—अपने ससुराल में निवास करती है तथा प्रार्थी की माता का देहान्त हो चुका है, जिसके फौतेदगी म्यूटेशन की कार्यवाही शेष है। खसरा नम्बर 284 रकबा 0.8656 हैक्टेयर की कृषि भूमि को प्रार्थना पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि से सम्बोधित किया जायेगा। प्रार्थी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 284 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी की खातेदारी, कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 1084ध1057 रकबा 0.2802 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आई हुई है। जिसके खाता संख्या 84 है तथा राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के अनुसार अप्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थी की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के पश्चिमी माठ को खुर्द बुर्द कर अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि को हड़पने की नियत से नाजायज कब्जा करने पर आमादा है, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 28.04.2024 को अप्रार्थी को उक्त कृत्य का ओलबा दिया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दी कि प्रार्थी की वादग्रस्त कृषि भूमि की पश्चिमी माठ को खुर्द बुर्द कर उक्त वादग्रस्त भूमि को मै हड़प लूंगा तथा प्रार्थी को कहा कि किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही करने की कोशिश की तो प्रार्थी व उसके परिवार को जान से खत्म कर देंगा। अप्रार्थी आदतन झगड़ालू प्रवृति का व्यक्ति है जो कभी भी प्रार्थी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि को हड़प सकता है तथा प्रार्थी व उसका परिवार सरल स्वभाव के एवं कानून में विश्वास रखने वाले है। इसलिए प्रार्थी की वादग्रस्त कृषि भूमि की माठ को खुर्द बुर्द नही करने एवं प्रार्थी की उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा नही करने हेतु अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें प्रार्थी को पूर्णरूप से सफलता मिलने की उम्मीद है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। क्योकि वादग्रस्त कृषि भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जाकाश्तसुदा भूमि है जिस पर अप्रार्थी को जबरन कब्जा करने का, प्रार्थी को बेदखल करने का, उसकी भूमि में सम्मिलित करने का कानूनन कोई अधिकार नही है, तथा न ही अप्रार्थी को वादग्रस्त कृषि भूमि की पश्चिमी माठ को खुर्द बुर्द करने का कानूनन अधिकार है। यदि अप्रार्थी को उसके द्वारा कारित उक्त गैर कानूनी कृत्य से नही रोका गया तो प्रार्थी वादग्रस्त कृषि भूमि में प्राप्त हक व अधिकारों से तथा कब्जा काश्त से वंचित हो जायेंगे। जिससे प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मूल्यों में नहीं आंका जा सकता तथा प्रार्थी का वाद पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा व प्रार्थी व अप्राथी के मध्य अशांति पैदा हो जायेगी व मुदकमेंबाजी बढ जायेगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि राजस्व मूलवाद के निर्णय तक के लिए प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो राजस्व ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थी की संयुक्त खातेदारीसुदा, संयुक्त कब्जाकाश्तसुदा वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 284 रकबा 2.0306 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम पर जबरन कब्जा न करे न ही प्रार्थी को उक्त खसरे की भूमि से बेदखल करे व न ही प्रार्थी के उक्त खसरे की भूमि पर स्थित कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करे, न ही वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थी उसकी खातेदारी भूमि में सम्मिलित करे, तथा वादग्रस्त कृषि भूमि की उतरी माठ को भी अप्रार्थीगण खुर्द बुर्द नही करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस तामिल

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर पटवार हल्का कापरडा तहसील बिलाडा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 284 रकबा 2.0306 हैक्टयर जो कि प्रार्थी की रेकर्डेड संयुक्त खातेदार है। अप्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा इन्द्राज नहीं है। अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन :– चुंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा निहित है। तथा प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। अतः प्रार्थी के हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना निहित होता है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह विश्वास किया जाये कि सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहित नही है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

(03) अपूर्णनीय क्षति :– प्रथम दृष्ट्या मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है। वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख में केवल प्रार्थीगण का नाम दर्ज है। अप्रार्थी यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर उनके पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती तो उन्हे किस प्रकार से अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में भली–भांति साबित होने से प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया सफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी को ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे, न ही वादग्रस्त कृषि भूमि को अप्रार्थी उसकी खातेदारी भूमि में सम्मिलित करे, तथा वादग्रस्त कृषि भूमि क उतरी माठ को अप्रार्थी खुर्द बुर्द नहीं करे तथा वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–::आदेश::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी ग्राम रामनगर तहसील बिलाडा के खसरा नंबर 284 रकबा 2.0306 हैक्टयर के वर्तमान भू अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, कृषि भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे व वादग्रस्त कृषि भूमि क उतरी माठ को अप्रार्थी खुर्द बुर्द आदि नही करे। पत्रावली इसी निमित्त निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा